'शिक्षा का विकेंद्रीकरण'
पंचायतीराज व्यवस्था में शिक्षा का मॉडल

तिलक राज पंकज*

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा के विकेंद्रीकरण और लोक सहभागिता पर जोर दिया। विकेंद्रीकरण की पंचायतीराज व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर शिक्षा की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को सौंपी जाती है। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में भी ग्राम पंचायत से यह अपेक्षा की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए ग्राम पंचायत शिक्षा समीति गठित की जाती है। ग्राम पंचायत शिक्षा समीति की संरचना क्या होती है? इसके मुख्य कार्य कौनसे हैं? इसके अधिकार क्या हैं आदि बिंदुओं पर इस लेख में चर्चा की गई है। साथ ही ज़मीनी स्तर पर शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए राज्य स्तरीय शिक्षा समीति का एक मॉडल भी प्रस्तावित किया गया है जिसका केंद्र बिंदु ग्राम पंचायत को माना गया है। लेख में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए ग्राम पंचायत समीति के प्रस्तावित कार्यों का ब्यौरा भी दिया गया है।

देश की आजादी के बाद से शिक्षा केंद्र के साथ-साथ राज्यों की सूची का विषय रहा है। राज्य सरकारें बच्चों को शिक्षा देने का कार्य केंद्र सरकार, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों व गैर-सरकार संगठनों की मदद से कर रहीं हैं। गत् 60 वर्षों में शिक्षा में सुधार की दिशा में अनेकों क्रांतिकरी कदम उठाए गए। इन प्रयासों से शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए एक सकारात्मक सोच बनाई। इसके पश्चात् शिक्षा में बदलाव करने का मुद्दा लेकर अनेकों सरकारी व गैर-सरकारी परियोजनाएँ, कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए। वर्तमान में भी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सर्वशिक्षा अभियान, गुरु मित्र योजना, राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम, कस्तूरबा गाँधी

**अति. ब्लॉक प्राइमरी शिक्षा अधिकारी*, तिजारा, अलवर, राजस्थान

बालिका आवासीय विद्यालय, विशेष लक्षित समूहों के बच्चों के अलावा कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों से शिक्षा के प्रचार-प्रसार में यकीकन फायदा हुआ है। नए स्कूलों का खुलना, क्रमौन्नत होना, स्कूलों का भौतिक विकास होना, शिक्षकों की नियुक्तियाँ, शिक्षक प्रशिक्षण, कम्प्यूटर शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, नि:शक्त बच्चों की शिक्षा इत्यादि के साथ ही जन जागरण भी हुआ है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम जुड़ा कि 'लोक सहभागिता' के बिना हम शिक्षा के लक्ष्यों को नहीं पा सकते। फिर सिलसिला शुरु हुआ ग्राम स्तरीय शिक्षा समितियों के गठन का, उन्हें स्कूल की जिम्मेदारी सौंपने का, उनके सहयोग से प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्यों को पाने का, जिसके सकारात्मक परिणाम सबके सामने हैं।

केंद्र सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं में 'लोक सहभागिता' पाने के लिए पहले शाला प्रबंधक समिति/ग्राम शिक्षा समिति, फिर शाला विकास एवं प्रबंधन समिति का गठन किया गया। 'शिक्षा का अधिकार' अधिनियम 2009 के अंतर्गत अब पुन: 'शाला प्रबंधन समिति' का गठन कराया जा रहा है। इन ग्राम स्तरीय शिक्षा प्रबंधन समितियों ने कई जगह बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन उससे भी बड़ा सच यह भी है कि अधिकाँश समितियाँ निष्क्रिय हैं। इन प्रबंधन समितियाँ के अलावा स्कूलों में शिक्षक अभिभावक संघ, मातृ-शिक्षक संघ, पोषाहार समिति, बालिका मंच, सखी-सहेली समूह आदि भी होते हैं लेकिन ये भी सक्रिय नहीं बन पाते। इनकी निष्क्रियता की सबसे बड़ी व अहम वजह यह है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर व वंचित समूहों के परिवारों के होते हैं जिनकी प्राथमिकता शिक्षा नहीं होती।

ऐसे में 'लोक सहभागिता' के मुद्दे पर सवालिया निशान लग जाता है। इन समितियों को कैसे सक्रिय किया जाए? किस प्रकार स्थानीय समुदाय की प्राथमिकता में शिक्षा को लाया जाए? आखिरकार कब तक हम निरक्षरता के अंधेरों से जूझते रहेंगे? किस प्रकार स्थानीय समितियाँ पंचायती राज व्यवस्थाओं के सपनों को साकार कर पाएगीं? इन्हीं सब सवालों के जवाब में 'शिक्षा का विकेंद्रीकरण' के अंतर्गत 'ग्राम पंचायत शिक्षा समिति' पंचायती राज व्ययवस्था में शिक्षा के मॉडल की परिकल्पना की गई है।

ग्राम पंचायत शिक्षा समिति—प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण के लक्ष्यों को 'लोक सहभागिता' से प्राप्त करने, शिक्षा की विकेंद्रीकृत व्यवस्था बनाने, स्थानीय जन सरकार को अपने बच्चों की शिक्षा का जिम्मा सौंपने तथा शिक्षा में सुधारात्मक एवं विकासात्मक प्रयासों में यह समिति मील का पत्थर साबित हो सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं एवं पंचायती राज में शिक्षा का अधिकार कानून लागू करने का जिम्मा इस समीति को दिया जाना सर्वथा उचित होगा।

शिक्षकों को बच्चों को शिक्षा देने के साथ ही कई प्रकार के गैर-शैक्षिक कार्य करने होते हैं और यह कार्य तब तक करने होंगे जब तक देश विकासशील देशों की श्रेणी से निकल कर विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ जाता। सरपंच ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, साथ ही वह एक लोक सेवक, सामुदायिक मुखिया व पंचायती राज

व्यवस्था का प्रतिनिधि भी होता है। इसकी भूमिका जन्म, मृत्यु व विवाह पंजीकरण, राशनकार्ड बी.पी.एल. कार्ड, वोटर कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि में होती है। शिक्षा से जुड़ी संस्थाओं का भी वह प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से मुखिया होता है।

इस शिक्षा समिति के अनेकों फायदे हैं। प्रत्येक बच्चे का जन्म पंजीकरण, विवाह पंजीकरण जरुरी करने पर बार-बार सर्वे करने से बचा जा सकता है। बाल विवाह पर रोक लग सकती है। शिक्षा से वंचित विशेष लक्षित समूहों, पलायन करने वाले परिवारों, व अन्य कारणों से पिछड़े परिवारों के बच्चों को जोड़ने का जिम्मा इस समिति को दिया जा सकता है। यह समीति सीधे ही अभिभावकों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना सकती है। बच्चों के शिक्षा से वंचितता की गुंजाइश न्यून हो सकती है।

इस समिति को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार देकर सशक्त बनाया जा सकता है ताकि यह स्थानीय चुनौतियों का बखूबी सामना कर सके। शिक्षा (पूर्व प्राथमिक, प्रांरभिक, माध्यमिक) से जुड़े मुद्दे इस समिति को सौंपे जाने चाहिए/सौंपे जा सकते हैं। देश का द्रुतगति से विकास करने, शिक्षा का विकेंद्रीकरण करने की दिशा में कदम बढ़ाने, स्कूलों को समाज का अभिन्न अंग बना रहने देने, गुणात्मक शिक्षा की पहल करने, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने, पंचायती राज के सपनों को साकार करने में यह समिति बदलाव लाने का प्रवाह बना सकती है।

ग्राम पंचायत शिक्षा समिति के सदस्य

(1) ***सरपंच***—अध्यक्ष

(2) ***उप सरपंच***—उपाध्यक्ष

(3) ***पदेन सचिव***—ग्राम पंचायत के क्षेत्र में स्थित उच्चतर विद्यालय (उ.मा.वि. /मा.वि./ उ.प्रा.वि. का संस्था प्रधान

(4) ***सदस्य***—ग्राम पंचायत में स्थित समस्त उ.मा./मा./उ.प्रा./प्रा.विद्यालयों के प्रधान

(5) ***सदस्य***—ग्राम पंचायत की समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों की प्रभारी

(6) ***सदस्य***—ग्राम सचिव

(7) ***सदस्य***—ग्राम पंचायत क्षेत्र के समस्त विद्यालयों की समितियों के अध्यक्ष

(8) ***सदस्य***—समस्त स्वास्थ्य कर्त्ता साथिन, आशा सहयोगिनी आदि

(9) ***सदस्य***—एक तिहाई वार्ड पंच

(10) ***सदस्य***—दो शिक्षाविद्।

(11) ***सदस्य***—समुदाय के मुखिया-2 (एक महिला)

(12) ***सदस्य***—भामाशाह /शाला मित्र-2

(13) ***सदस्य***-एम.टी.ए./पी.टी.ए. के 1/3 प्रधान/अध्यक्ष

विशेष आमंत्रित—ग्राम पंचायत क्षेत्र के निवासी पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्य, क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन (शिक्षा) के प्रतिनिधि, शिक्षक संघ के प्रतिनिधि, पटवारी, मान्यताप्राप्त स्कूलों के प्रतिनिधि।

ग्राम पंचायत शिक्षा समिति की बैठक तीन माह में एक बार अवश्य होनी चाहिए। विशेष आमंत्रित सदस्य निर्णयों में भागीदारी ना निभाएँ। समिति में 1/3 महिलाएँ हों। समिति के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का हो इत्यादि नियम बनाए जा सकते हैं।

समस्त समितियों का पंजीकरण अनिवार्य हो।

ग्राम पंचायत शिक्षा समिति के कार्य— इस समिति को निम्न संभावित कार्य सौंपे जा सकते हैं।

1. जन्म, मृत्यु व विवाह पंजीकरण—

- ग्राम सचिव/सेवक, आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, ए.एन.एम., आशा सहयोगिनी, साथिन इत्यादि की मदद से यह पंजीकरण अनिवार्य किया जाए।
- पंजीकरण प्रमाण-पत्र के आधार पर ही सरकारें अन्य सुविधाएँ जारी करें। जैसे—राशन कार्ड में नाम जोड़ना/हटाना, बीपीएल कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक खाता, जमीनों/मकानों की रजिस्ट्री, बिजली पानी, फोन, इंटरनेट के कनैक्शन या अन्य कोई सरकारी सुविधा।
- (0-5), (6-14) व (15-35) आयु वर्ग का वर्गीकरण कर संबंधित विभाग को इसी अनुसार योजना तैयार कराना।

2. आयुवार बच्चों को शिक्षा से जोड़ना— समिति द्वारा चिह्नित (पंजीकृत) बच्चों का नामाँकन व ठहराव सुनिश्चित करना।

- स्कूलों में अथवा वैकल्पिक शिक्षा शिक्षा केंद्रों में दाखिला नहीं दिलाने वाले अभिभावकों के खिलाफ कार्यवाही कराना।
- बाल मजदूरी, बाल विवाह, ड्राप आउट, पलायन को रोकना व ऐसे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना।
- विशेष लक्षित समूहों, यथा बालिकाओं, सफाई कार्मिकों के बच्चों, नट-कंजर बस्तियों के बच्चों, ईंट भट्टों पर कार्य करने वाले परिवारों के बच्चों, कठिन वर्गों के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कराना।

3. गुणात्मक शिक्षा के लिए प्रयास करना— प्रत्येक बच्चा अच्छी व गुणवत्ता आधारित शिक्षा पाने का हकदार है। इसके लिए समिति प्रयास करेगी।

- प्रत्येक बच्चा प्रत्येक वर्ष कक्षान्नोति करे यह सुनिश्चित करना।
- पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों की समझ बनें।
- सी.सी.ई. की प्रणाली पर बच्चों का मूल्याँकन हो।
- प्रत्येक विद्यालय निर्धारित मानदण्डानुसार न्यूनतम 240 दिन खुलना चाहिए।
- शिक्षकों व बच्चों की विद्यालयों में सतत उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- प्रत्येक शिक्षक की न्यूनतम कक्षा शिक्षण की 180 दिवसों की न्यूनतम अवधि को सुनिश्चित कराना।
- कक्षा शिक्षण के साथ-साथ बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए सह-पाठ्यतर गतिविधियों, खेल उत्सव, पर्व, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का आयोजन कराना।

4. शिक्षकों की व्यवस्था करना—आर.टी.ई. 2009 के अनुसार छात्र, शिक्षक अनुपात में शिक्षकों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समिति की हो।

- ग्राम पंचायत के समस्त विद्यालयों में निर्धारित मानदण्डानुसार शिक्षकों का पदस्थापन कराना।
- निर्धारित मानदण्डानुसार शिक्षक उपलब्ध न होने पर स्थानीय स्तर पर 'सरकारी व्यवस्था होने तक' वैकल्पिक शिक्षक लगाना।

- अंतर ग्राम पंचायत शिक्षकों को व्यवस्थार्थ एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में लगाना।
- शिक्षकों का अवकाश, न्यूनतम 180 दिन कक्षा शिक्षण की सुनिश्चितता, कार्यग्रहण/ कार्यमुक्ति अनुशासन आदि का जिम्मा समिति का हो।

5. स्कूलों को मान्यता—सरकारी स्कूलों की साख को बनाए रखने, गुणात्मक शिक्षा व्यवस्था बनाए रखने व एक समान शिक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए समिति यह फैसला करे कि उनके बच्चे किस प्रकार के स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करेंगे। आर.टी.ई. के प्रावधानानुसार प्रत्येक बच्चे को नि:शुल्क व मुक्त शिक्षा सुविधा देना अनिवार्य है। ऐसे में समिति ही अपने क्षेत्र के प्राइवेट स्कूलों की मान्यता का फैसला करे। ये स्कूल आर.टी.ई. के प्रावधानों को पूरा कर रहे हैं या नहीं। सरकारी नियमों से चल रहे हैं या नहीं, यह निर्णय समिति करे।

6. वैकल्पिक व्यवस्थाएँ करना—तमाम कोशिशों के बावजूद भी जो बच्चे औपचारिक शिक्षा व्यवस्थाओं से नहीं जुड़ पाते, उनके लिए समिति वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करे।

- कठिन व पिछड़ी ग्राम पंचायतों के बच्चों, ग्राम पंचायतों के हार्ड कोर बच्चों की शिक्षा व्यवस्थाएँ करना।

7. गैर-सरकारी संगठनों से समन्वयन—क्षेत्र में कार्य कर रही एन.जी.ओ. से शिक्षा के लिए सहयोग प्राप्त करना, सहयोग कर समन्वयन स्थापित करना।

8. वित्तीय प्रबंधन—राज्य सरकार, भारत सरकार व अन्य विभागों द्वारा शिक्षा के लिए दिए जा रहे फंड्स इस समिति को हस्तांतरित किए जाएँ। जिससे समिति सुविधाओं में सुधार कर सकती है। इसके अतिरिक्त समिति स्थानीय वित्त भी जुटाने का कार्य कर सकती है जैसे—

- भामाशाहों/शाला मित्रों से चंदा एकत्र करना।
- स्थानीय कर लगाना।
- स्थानीय समुदाय से समझ बनाकर राशि एकत्र करना।
- स्कूलों के औद्योगिक समूहों को गोद देना।
- स्थानीय सरकारी भवनों को स्थानीय समुदाय को किराए पर देना इत्यादि।

अन्य कार्य–

- पोषाहार की व्यवस्था कराना।
- विद्यालयों का भौतिक विकास कराना।
- बच्चों का भौतिक विकास कराना।
- बच्चों को अन्य सुविधाएँ जैसे—शाला पौशाक, छात्रवृत्तियाँ, टी.एल.एम. इत्यादि प्रदान कराना।
- राष्ट्रीय अभियानों में सहयोग करना।
- विद्यालयों की साफ-सफाई, साज-सज्जा, वृक्षारोपण, पीने का पानी, शौचालय आदि की सुविधाएँ उपलब्ध कराना।

इसी प्रकार यह समीति ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े अनेक विकास कार्यों में सहयोग कर सकती है।

ग्राम पंचायत शिक्षा समीति के अधिकार

इस समिति का पंजीकरण करके सरकार द्वारा इसे कुछ मूलभूत अधिकार दिए जाने आवश्यक हैं जिनसे आमजन इस समीति व शिक्षा के महत्व को समझे—

- शिक्षा समीति द्वारा जारी जन्म, मृत्यु व विवाह प्रमाण-पत्र ही अन्य सरकारी सुविधाओं के लिए मान्य किया जाए।

- स्कूलों में बच्चों को दाखिला नहीं कराने वाले/ठहराव सुनिश्चित करने में बाधक अभिभावकों की सुविधाएँ निरस्त करने के अधिकार देना।
- वैकल्पिक शिक्षा सुविधाएँ/व्यवस्थाएँ कराने का अधिकार देना।
- स्थानीय वित्त सुविधाएँ जुटाने का अधिकार देना।
- प्राइवेट स्कूलों को कक्षा 8 तक की मान्यता देने का अधिकार देना।
- आर.टी.ई. के प्रावधानानुसार शिक्षक नहीं होने पर शिक्षकों का स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति से पूर्व समिति को शिक्षक को कार्यमुक्त नहीं करने का अधिकार देना।
- न्यूनतम 240 दिन स्कूल वर्ष भर में खोलने का अधिकार देना।
- प्रत्येक शिक्षक से न्यूनतम प्रति शैक्षिक सत्र में 180 दिवस तक कक्षा शिक्षण कराने का अधिकार देना।
- किसी भी वित्तीय संस्थान, गैर-सरकारी संगठन, औद्योगिक समूह से सीधे ही फंड्स पा सकने के अधिकार देना, आदि।

पंचायती राज व्यवस्था का शिक्षा मॉडल

(राज्य स्तरीय शिक्षा समिति) प्रस्तावित

अध्यक्ष	पंचायतीराज विभाग मंत्री
उपाध्यक्ष	शिक्षा मंत्री। (प्रारंभिक, माध्यमिक)
सचिव पदेन	प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (प्रारंभिक, माध्यमिक)
सदस्य	पंचायतीराज विभाग राज्य मंत्री शिक्षा विभाग, राज्य मंत्री संस्कृत शिक्षा मंत्री। महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्री।
सदस्य	सचिव (1) पं.रा. विभाग (2) प्रार. एवं माध्य. शिक्षा विभाग (3) संस्कृत शिक्षा विभाग (4) महिला एवं बाल विकास विभाग
सदस्य	निदेशक (1) प्रारंभिक, माध्यमिक व संस्कृत शिक्षा (2) साक्षरता एवं सतत् शिक्षा (3) सर्व शिक्षा अभियान (4) राष्ट्रीय मा. शि. अभियान (5) सीमेट(6) महिला एवं बाल विकास (7) स्टेट ओपन स्कूल (8) राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (9) राज्य मदरसा बोर्ड (10) राज्य मा.शि. बोर्ड (11) यूनीसेफ (स्टेट) (12) स्टेट टेक्सट बुक्स बोर्ड, राज्य स्तरीय संचालित शैक्षिक परियोजनाएँ
सदस्य	(1) शिक्षाविद् -2 (2) शिक्षक संघ प्रतिनिधि-2(3) गैर-सरकारी संगठन -2 (4) भामाशाह-2
सदस्य	(1) जिला प्रमुख-2 (2) प्रधान-2 (3) सरपंच-2
सदस्य	(1) संभागीय आयुक्त -1 (2) जिला कलक्टर-2(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी-2 (4) विकास अधिकारी-2 (5) उपखण्ड अधिकारी-2
सदस्य	(1) उपनिदेशक-1 (2) प्राचार्य, डाइट-2 (3) जिला शिक्षा अधिकारी-2 (4) क्षेत्रीय उप निदेशक आई सी डी एस-2 (5) बीईईओ-2 (6) सीडीपीओ-2।

अलग-अलग राज्यों में यह सँख्या भिन्न हो सकती है। राज्य में प्रत्येक जिले/संभाग को प्रतिनिधित्व मिले, इस तरह सदस्य बनाए जा सकते हैं।

राज्य सरकार इस समिति की बैठक वर्ष में कम से कम 3 बार करा सकती है, जिसमें माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा से जुड़े समस्त मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। बैठक दो दिवस की हो, ताकि कोई मुद्दा छूटे नहीं व रात्रि सत्रों में शैक्षिक नवाचारों, हार्ड कोर विषयों पर 'परिचर्चा' 'कार्यशाला' या शैक्षिक फिल्मों का प्रदर्शन किया जा सकता है।

राज्य स्तरीय समिति ऐसे बिंदुओं को ज्यादा प्रकाश में लाए, जिसका विस्तृत प्रभाव पड़ता हो, व्यक्तिगत/विशेष प्रकरणों को नहीं। जैसे—

(1) शिक्षा का कानून/अधिकार, अधिनियम लागू करना।
(2) शिक्षकों की तबादला नीतियों का निर्धारण करना।
(3) नियुक्तियाँ, पदस्थापन, प्रशिक्षण।

(4) सबके लिए एक समान पाठ्यक्रम लागू कराना।
(5) सब बच्चों के लिए शिक्षा के समान अवसर या सुविधाओं की उपलब्धता कराना।
(6) गुणात्मक शिक्षा के लिए बेहतर इंतजामात।
(7) मानिटरिंग एवं सुपरविजन की बेहतर व्यवस्थाएँ।
(8) शिक्षा में राजनैतिक दखल अंदाजी कम करना।
(9) वित्त संबंधी प्रकरण।
(10) शैक्षिक अभियानों का क्रियान्वयन।
(11) सूचना संप्रेषण को मजबूत करना।
(12) शैक्षिक प्रबंधन को मजबूत बनाना।
(13) शैक्षिक नवाचारों का क्रियान्वयन।

अन्य राज्य स्तरीय नीति निर्धारक मुद्दे हो सकते हैं।

सूचना संप्रेषण व अधिकारों का हस्तान्तरण

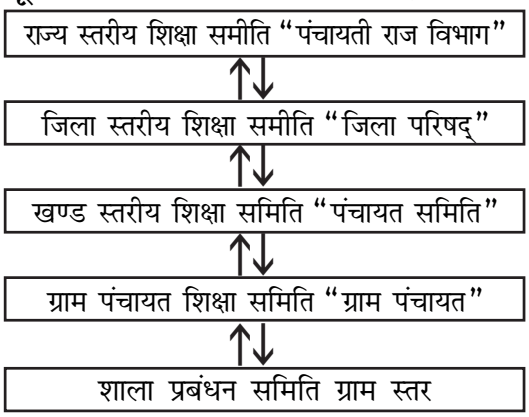

ग्राम पंचायत शिक्षा समीति में प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा का समावेशीकरण

- प्रत्येक ग्राम पंचायत शिक्षा समिति का सचिव उस ग्राम पंचायत में स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का संस्था प्रधान होगा।
- यह विद्यालय ही ग्राम पंचायत का नोडल विद्यालय होगा और संस्था प्रधान ग्राम पंचायत शिक्षा अधिकारी होगा।
- यह संस्था प्रधान ही ग्राम पंचायत क्षेत्र के समस्त विद्यालयों का प्रशासनिक प्रबंधन करेगा। संबंधित विद्यालयों का सर्विस रिकार्ड, अवकाश प्रकरण, तनख्वाह का हिसाब, निर्णयों की अनुपालना व अनुशासन संबंधी प्रकरण की जिम्मेदारी संभाले।
- यह संस्था प्रधान ही ब्लॉक, जिला एवं उच्च स्तर समन्वयन का कार्य करेगा।
- ग्राम पंचायत शिक्षा समिति के निर्णयों व उच्च स्तर के निर्णयों की अनुपालना कराना, विभिन्न प्रस्तावों को प्रेषित करना, अधीनस्थ विद्यालयों का निरीक्षण भी यह संस्था प्रधान ही करेंगे।

इससे ब्लॉक स्तर से अनावश्यक बोझ कम होगा। सूचना संप्रेषण व शैक्षिक प्रबंधन को मजबूती मिलेगी। ग्राम पंचायतें निर्णय लेने में सशक्त बनेंगी व कार्यों में अनावश्यक देरी नहीं होगी। ब्लॉक स्तर पर मॉनीटरिंग व सुपरविजन की व्यवस्था बेहतर होगी। शिक्षकों को अनावश्यक रूप से ब्लॉक पर चक्कर नहीं काटने होंगे। समय व वित्त की बचत होगी।

- इसी प्रकार की व्यवस्था से ब्लॉक एवं जिला स्तर के अधिकारी अधिकाधिक मानीटरिंग एवं सुपरविजन कर पाएँगे, गुणात्मक शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा।
- शिक्षकों का संस्थापन, वेतन, अवकाश प्रकरण, अनुशासन प्रकरण, सूचनाएँ इत्यादि ग्राम पंचायत के उच्चतम विद्यालयों में हस्तांतरित

हो जाने से ब्लॉक अधिकारियों पर से अनावश्यक बोझ कम हो पाएगा।

- ब्लॉक एवं जिला स्तर पर उन्हीं प्रकरणों को प्रेषित किया जाए जो ग्राम पंचायत शिक्षा समिति के अधिकार क्षेत्र के बाहर के हों। बिना वजह उठने वाले प्रकरणों पर रोक लगेगी तथा प्रशासन का समय, श्रम व वित्त की बचत होगी।
- शिक्षकों की ब्लॉक व जिला स्तर पर बार-बार आवाजाही पर भी अंकुश लगेगा। क्योंकि प्रत्येक कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर ही संपादित होगा।
- ग्राम पंचायत सचिव प्रधानाध्यापक व समिति के सदस्य समय-समय पर तय कार्यक्रमानुसार विद्यालयों में अवलोकन करेंगे, विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे, सहयोग करेंगे, समस्याओं के निवारण में मदद करेंगे।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत शिक्षा समिति के पदेन सचिव के विद्यालय में कंप्यूटर, फोन, इंटरनेट आदि की सुविधाएँ आवश्यक रूप से हों ताकि सूचनाएँ त्वरित गति से संप्रेषित की जा सकें।
- ग्राम पंचायत शिक्षा समिति के सदस्य प्रत्येक माह में एक बार प्रत्येक गाँव/ढाणी में जाएँ, शिक्षा के मुद्दों पर चर्चा करें, रात को स्कूल में बैठकें करें ताकि आ रही समस्याओं को सुलझाया जा सके या शिक्षण कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके या ठहराव, ड्राप ऑउट जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सके।
- प्रत्येक गाँव में प्रत्येक बच्चे के ठहराव व शैक्षिक प्रगति का ब्यौरा रखा जाएगा, अभिभावकों के साथ चर्चा की जाएगी।
- ग्राम शिक्षा समिति अपने विद्यालयों के शिक्षकों के तालमेल बनाएँ और इस प्रकार की व्यवस्थाएँ बनाएँ कि शिक्षक पाक्षिक रूप से गाँवों में रात्रि विश्राम करें। रात्रि विश्राम वाले कार्यक्रम में ब्लॉक/जिला स्तर से कोई प्रतिनिधि भी उपस्थित होना चाहिए।
- इसी दिवस/रात्रि को वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया जा सकता है।

इसके अलावा भी कई सारे ऐसे शैक्षिक मुद्दे हो सकते हैं, जिन पर ग्राम पंचायत शिक्षा समिति नियंत्रण कर सकती है जैसे—

- शिक्षकों का स्कूलों में ठहराव बनाना।
- कक्षा शिक्षण में शिक्षकों को अधिकाधिक समय रहना।
- शिक्षकों को गैर-शैक्षिक कार्यों में लगे रहने से बचाना।
- बिना वजह, बिना कार्य शिक्षकों की आवाजाही को रोकना।
- सूचना संप्रेषण की व्यवस्थाएँ सही करना व नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना।
- अनावश्यक प्रतिनियुक्तियाँ, स्थानानांतरण पर रोक लगाना।
- स्कूल बंद होने की परिस्थितियों पर रोक लगाना इत्यादि।

उपसंहार—अब जबकि 01 अप्रैल 2010 से 'शिक्षा का अधिकार' अधिनियम लागू हो गया है। अभिभावकों को शिक्षा समितियों से जोड़ा गया है। पंचायती राज को शिक्षा की बागडोर सौंपी जा रही

है। देश और दुनिया में प्रत्येक दिन नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। ऐसे में द्रुत गति से आगे बढ़ने व वक्त के साथ चलने के लिए हमें नए सिरे से सोचना होगा।

ग्राम पंचायत को केंद्र बिंदु मानकर हमें विकास का नया मॉडल बनाना होगा। शिक्षा के बिना सब अधूरा है। आज हमारी बदकिस्मती यह है कि आजादी के 63 सालों के बाद भी हम तालीम की बुनियादी सहूलियतों से बहुत दूर हैं। तमाम कोशिशों और अभियानों के बाद भी मंजिलें आसान नहीं हो पा रही हैं।

फासले और फर्क बढ़ते जा रहे हैं, अमीर व गरीब की तालीम में, पाठ्यक्रम में, सहूलियतों में, शहर और गाँवों में। शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है। इस कम्प्यूटर युग में एक विद्यार्थी को दुनिया की हर चीज मुहैया है तो दूसरा एक पेड़ के नीचे बैठकर भविष्य के अंधकार में अपनी राह खोज रहा है। हमें भाषावाद, क्षेत्रवाद, संरक्षणवाद, भाई-भतीजावाद, सम्प्रदायवाद इत्यादि, वाद् रूपी जहरों को तालीम से मिटाना होगा और इन फासलों को कम करना होगा, ताकि देश के प्रत्येक बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सके।